भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2483
उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

गुजरात में समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत निधि का आवंटन

2483. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुजरात राज्य में विशेष रूप से गुजरात के दाहोद लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;
(ख) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजना के अंतर्गत बालिकाओं के लिए कितने नए विद्यालय भवनों, स्मार्ट कक्षाओं और शौचालयों का निर्माण किया गया है;
(ग) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में जनजातीय छात्रों द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय किए गए हैं; और
(घ) क्या उक्त निर्वाचन क्षेत्र में विद्यालयों के उन्नयन के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दाहोद जिले सहित गुजरात में आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	आवंटित केंद्रीय हिस्सा	जारी किया गया केंद्रीय हिंस्सा	राज्य के हिस्से सहित व्यय
2023-24	1316.73	1130.73	2110.23
2024-25	1598.43	1243.92	2199.83
2025-26	1407.15	1396.73	1883.21
2026-27	1374.35	*	747.76

*दिनांक 01.04.2026 की स्थिति के अनुसार अथशेष 616.82 करोड़ रुपये है।
स्रोत: पीएबी कार्यवृत्त/उपयोग प्रमाणपत्र/पीएफएमएस एसएनए 01 रिपोर्ट

राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	आवंटित निधि	उपयोग की गई निधियां
2023-24	146.99	97.05
2024-25	122.60	96.98
2025-26	122.40	80.99
2026-27 (जून, 2026 तक)	114.98	29.25

(ख): राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023-24 से आज तक दाहोद लोकसभा क्षेत्र के लिए 2419 क्लास रूम, 6219 स्मार्ट क्लास और लड़कियों के लिए 428 शौचालयों को अनुमोदित किया गया है।

(ग): समग्र शिक्षा के अंतर्गत जनजातीय छात्रों सहित सरकारी स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने और नामांकन बढ़ाने हेतु विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के नए स्कूल खोलना/सुदृढ़ीकरण, शौचालयों सहित स्कूल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, पीएम-जनमन और डीएजेजीयूए के अंतर्गत एनएससीबीएवी, (केजीबीवी), छात्रावासों जैसे आवासीय स्कूलों/छात्रावासों की स्थापना एवं उन्नयन है। परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) के आयु-उपयुक्त प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण, हर मौसम में रहने योग्य छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, निशुल्क पाठ्यपुस्तकें और निशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान करना, परिवहन/अनुरक्षण सुविधा आदि प्रदान करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, निर्वाचन क्षेत्र में जनजातीय छात्रों के बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले को कम करने के लिए, दाहोद जिले में राज्य सरकार द्वारा कुल 11 बारहमासी छात्रावासों को अनुमोदित किया गया। वर्ष 2023-24 से, दाहोद जिले में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को कम करने के लिए राज्य द्वारा किए गए विभिन्न उपायों से लाभान्वित बच्चों की संख्या निम्नानुसार है:

पहल	स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण	परिवहन सुविधा	प्रवासी परिवार के बच्चों के लिए बारहमासी	प्रवासी परिवार के बच्चों के लिए आवासीय छात्रावास	लड़कियों को प्रदान की गई केजीबीवी सुविधा
लाभार्थी	16066	39799	5850	1400	10853

उपरोक्त के अलावा, पीएम पोषण के तहत, सभी स्कूल कार्य दिवसों में बालवाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चों को सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गर्म पका हुआ मध्याह्न भोजन परोसा जाता है।

(घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्राधिकार में हैं। समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक योजनाएं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कूलों के उन्नयन और प्राथमिकता सहित उनकी आवश्यकताओं के आधार पर तैयार की जाती हैं और यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में परिलक्षित होती है। इसके बाद इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा किया जाता है। पीएबी 2026-27 में, दस (10) उच्च प्राथमिक स्कूलों को माध्यमिक स्तर तक उन्नयन के लिए अनुमोदित किया गया था।
